


Res No 1216-III/05



रीवा

शमसुन्दर	आवेदक
ग्राम बीजाबा	वनाम
तहसील इन्दौर जिला रीवा	
रविकरण	अनावेदक
ग्राम बीजाबा	
तहसील इन्दौर जिला रीवा	
श्री संतोष मिश्रा अभिभाषक	आवेदन पत्र वाकत प्रकरण पुनर्स्थापित
द्वारा आज दिनांक 5-8-05	किए जाने
मान्यवर,	अन्तर्गत धारा 35(3) म.पु.भ. सं.संहिता

को ~~इस~~ रीवा कैम्प यल आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है: —

- यह कि उक्त उन्मान प्रकरण श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक को सुनवाई हेतु नियत था। जो अभी कुछ समय पहले अदम पैखी में खारिज हो गया है।
- यह कि प्रकरण में पक्षकार के पुत्र की सड़क दुर्घटना हो गई है जिसका इलाज कराने हेतु पक्षकार अस्पताल चला गया था, और जब वह न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उसे बात हुआ कि प्रकरण अदम पैखी में निरस्त हो चुका है।
- यह कि प्रकरण में उक्त कारणवश ही नियत समय पर श्रीमान् के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका है।

अतएव उपरोक्त कारणों से न्यायहित में प्रकरण को पुनर्स्थापित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए।

दिनांक
5/8/05

द्वारा अधिका

पार्थी/ आवेदक
शमसुन्दर सिंह तिवारी
ग्राम बीजाबा तहसील इन्दौर
जिला रीवा (म०५)

12


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... ~~1216~~ 1216-टी.नं. 105 जिला ... सीया

8

राम सुन्दर / राविकाण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-16	<p>पञ्चाल में अविष्क अधिवक्ता को लीन वाल पुकार लगवाई गई। अविष्क अधिवक्ता -आशाजीय लाम के (उपास्थित गरी) पञ्चाल ठासम पै (वी) में विशेष विभा लाल है। पुठ कर रिकॉर्ड पं 21000 [राजि ए।</p>	

M